



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक:- 12.11.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्ता का नाम व पता-

1-01 महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली बागपत ।

2-है0का0 110 तहसीम खाँ थाना कोतवाली बागपत ।

3-म0हो0गा0 811 नीतू थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12-11-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो वायरल के आरोपी को मय प्रदर्शित हथियार के किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का हथियार के साथ वीडियो वायरल हुआ था । जिसमें संज्ञान लिया गया एवं व्यक्ति को चिन्हित किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हुये वीडियो में आरोपी को चिन्हित कर मय प्रदर्शित हथियार के गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारों का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता -

1- रमीज पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी की विवरण-

- प्रदर्शित हथियार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 दिग्विजय सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर ।
- 3-का0 467 टिकू अधाना थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 12.11.2022

**थाना छपरौली पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,
जिनके कब्जे से 02 अवैध छूरे बरामद ।**

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 02 अवैध छूरे बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0स0 330/2022 धारा 269/270 भादवि व 3/11 (ठ) पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. दिलशाद पुत्र मीनू निवासी पट्टी धनकोशिया कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।
2. साजिद पुत्र नूरा निवासी पट्टी भुवाला कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध छूरे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री ब्रजेश पोनिया।
- 2- का0 115 पवन नागर।
- 3- का0 708 नरेश।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12.11.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 405/22 धारा 323/504/452/506/353 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11-11-2022 को थाना सिंघावली अहीर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कर्मअलीपुर गढी थाना सिंघावली अहीर में एक व्यक्ति जिसका नाम अमित पुत्र बिजेन्द्र निवासी कर्मअलीपुर गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा शराब पीकर हंगामा किया जा रहा है इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्राम कर्मअलीपुर गढी के प्रधान जबर सिंह व अन्य लोगों द्वारा अमित उपरोक्त के साथ मारपीट व गाली गलौच की गयी । इस संबंध में अमित उपरोक्त को थाना लाकर उसका डॉक्टरी मेडिकल कराया गया जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है तथा ग्राम प्रधान जबर सिंह उपरोक्त व अन्य लोगों द्वारा पुलिस के सामने ही मारपीट की गयी तथा पुलिस कार्य में भी बाधा पहुंचायी गयी ।



इस संबंध में वादी अमित उपरोक्त की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 405/22 धारा 323/504/452/506/353 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम अभियुक्तगण जबर सिंह,जबर सिंह की पत्नी, अंकित,धीरज निवासीगण ग्राम कर्मअलीपुर गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 405/22 धारा 323/504/452/506/353 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1- जबर सिंह पुत्र फेरू सिंह निवासी ग्राम कर्मअलीपुर गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- उ०नि० श्री रविन्द्र कुमार ।
- 2- का० 173 सिंहराज नागर ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 12.11.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

1-यूसूफ पुत्र इजहारूलहक निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगरजनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अख्तर अली ।

2-उ0नि0 युवनीश कुमार ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12.11.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 392/22 धारा 147/148/323/
324/506/307 भादवि मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.10.2022 को वादिया द्वारा थाना सिंघावली अहीर पर सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.बन्टी पुत्र ध्यान सिंह, 2. तेजवीर पुत्र जयभगवान, 3.शिवम पुत्र धर्मेन्द्र निवासीगण ग्राम कैडवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा उसके पति रविन्द्र व पुत्र के साथ लाठी डंडों से मारपीट व धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से हमला व जान से मारने की धमकी दी गयी है । इस संबध में थाना सिंघावली अहीर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 392/22 धारा 147/148/323/324/506/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 392/22 धारा 147/148/323/324/506/307 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.बन्टी पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम कैडवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रजत कुमार ।

2-है0का 214 उमेश कुमार ।